

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या
16/23/2025

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/223

प्रवेश तिथि
15.10.2025

निर्णय दिनांक
29.04.2026

1.सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) राजगढ़, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1.रामस्वरूप पुत्र काल्या, निवासी ग्राम प्रतापपुरा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14
(4) भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

अनुपस्थित:—

02—श्री महेश भारद्वाज

—वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णय:—

तहसीलदार राजगढ़ ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14(4) भूमि आवंटन नियम, जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम प्रतापपुरा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर के हाल आराजी खसरा नं. 483 रकबा 0.32 है0 किस्म बारानी 1, भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि काला पुत्र भींवा, निवासी ग्राम प्रतापपुरा, तहसील राजगढ़ जिला अलवर को साबिक खसरा नंबर 100 मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम प्रतापपुरा, तहसील राजगढ़ जिला अलवर की भूमि कृषि हेतु आवंटन की गई थी। जो कि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 157 पर अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम प्रतापपुरा के मिसल बन्दोबस्त संवत् 2046 से 2065 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 100 मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से हाल आराजी खसरा नं. 483 रकबा 0.32 है0 किस्म बारानी 1 बना है। आवंटी/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में संपूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। वर्तमान में भी आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है और न ही कृषि कार्य हो रहा है। अतः आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर भू-राजस्व कम किया जाना फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक अनुपस्थित। यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजगढ़ द्वारा राजकीय अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी पक्ष का निवेदन है कि ग्राम प्रतापपुरा की भूमि जिसके साबिक खसरा नंबर 100 मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से हाल आराजी खसरा नं. 483 रकबा 0.32 है0 किस्म बारानी 1 का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता काला पुत्र भींवा नि0 प्रतापपुरा, तहसील राजगढ़ जिला अलवर को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था। प्रार्थी के अनुसार आवंटी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों और रिपोर्टों का बारीकी से अवलोकन किया गया। प्रटवारी हल्का नीमला की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.09.2025 के अनुसार, हाल आराजी खसरा नं. 483 रकबा 0.32 है0 भूमि के मौके पर उक्त खसरा पर गैर खातेदार का कब्जा नहीं है। मुताबिक पटवारी/तहसीलदार रिपोर्ट उक्त भूमि संलग्न स्थित नाले के बहाव क्षेत्र में आती है। उक्त आराजी खाता संख्या 157, जमाबंदी संवत् 2072-2075 पर अप्रार्थीगण का नाम 'गैर खातेदार' के रूप में दर्ज है, किंतु मौके पर कब्जा व काश्त का अभाव है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन के दशकों बाद भी भूमि पर कोई कृषि या काश्त नहीं की गई एवं अप्रार्थी/आवंटी का कब्जा नहीं है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 के तहत आवंटित भूमि पर निर्धारित समय सीमा में कृषि कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य शर्त है। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि अप्रार्थी/आवंटी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0 आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। ग्राम प्रतापपुरा, तहसील राजगढ़ के साबिक खसरा नंबर 100 मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से हाल आराजी खसरा नं. 483 रकबा 0.32 है0 किस्म बरानी 1 भूमि का काला पुत्र भीवा निवासी प्रतापपुरा, तहसील राजगढ़ जिला अलवर के पक्ष में दिनांक 09.10.1967 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(योगेश कुमार डागुर)
अति० जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज०)